स्पीड पोस्ट द्वारा
आर टी आई मामला

सं. 550/आर टी आई/2011-एस डब्ल्यू ||82
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
एफ एफ आर प्रभाग (बंदोबस्त विंग)

**

एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 27-6-, 2014

सेवा में

श्री चन्द्र मोहन,
पुत्र श्री विमल कुमार,
463-ए, द्वितीय तल, झील सब्जी मंडी,
दिल्ली -110051

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

***

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपनी दिनांक 03.04.2014 की प्रथम अपील का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 23.04.2014 को प्राप्त हुई थी।

2. मैंने, आपके दिनांक 13.02.2014 के आवेदन के प्रत्युतर में दिनांक 14.03.2014 के पत्र के तहत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। जहां तक पाकिस्तान से प्रवास करने वाले विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आपके प्रश्नों का संबंध है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। चूंकि पाकिस्तान (पश्चिमी) से विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में मुआवजे का भुगतान आदि, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और वर्ष 1955 के नियमों के अनुसार किए जा रहे थे इसलिए आपको उत्तर उसी अनुसार दिया गया। विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, 1955 समूल्य प्रकाशन हैं और वे बाज़ार अथवा भारत सरकार मुद्रणालय प्रकाशन के आउटलेट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3. जहां तक आपके मामले का संबंध है, आपके पत्र के साथ संलग्न दिनांक 06.06.2011 की पंजीकरण-रसीद की प्रतिलिपि से यह प्रतीत होता है कि श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र श्री राजा राम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के प्रवासी थे न कि पश्चिमी पाकिस्तान के और इसलिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित आपका मामला विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम तथा नियमों के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है।

4. यदि आपका कोई मामला इस मंत्रालय में लंबित है तो आप अपने मामले का विवरण उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि इस मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की जा सके।

5. इस मंत्रालय के दिनांक 14.03.2014 के पत्र के तहत आपसे पहले भी भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में आहरित भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजने का अनुरोध किया गया था। फिर से इस मंत्रालय को भेजा गया लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में आहरित भारतीय पोस्टल ऑर्डर इस अनुरोध के साथ वापस किया जा रहा है कि आप इस मंत्रालय को "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजें।

6. आपकी अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है।

भवदीय,

(के. के. पाठक)
संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रति प्रेषित:

अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। अपील की प्रति संलग्न है।